संख्या-751/2021/4825/41-2021/117(बजट)/2021-टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषय:- जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम-भुजौली, विकास खण्ड, बर्डपुर में स्थित वैदिक आश्रम का पर्यटन विकास कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3497/6-1-1(1286)/2021-22**,** दिनांक 04.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम-भुजौली, विकास खण्ड, बर्डपुर में स्थित वैदिक आश्रम का पर्यटन विकास कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्रमशः प्रथम एवं तृतीय स्थान है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वनसम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

3- जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय से ग्राम भुजौली में स्थित भुजौली मंदिर एवं वैदिक आश्रम ककरहवा मार्ग से होते हुए लगभग 24 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। लखनऊ से सिद्धार्थनगर के मध्य चलने वाली लगभग समस्त रेलगाड़ियॉ इस स्टेशन पर रूकती हैं तथा प्रमुख शहरों से बस सेवा भी इस मार्ग पर उपलब्ध है। इस आश्रम की सबसे अधिक महत्व वाली विशेषता, यहॉ पर कल्पवृक्ष का होना है जो कि दुलर्भ एवं पूज्यनीय वृक्ष है एवं इस मंदिर में लगभग 25 वर्ष पूर्व लगाया गया था। धार्मिक एवं पौराणिक आख्याओं के अनुसार 14 रत्नों में से एक परिजात वृक्ष समुद्र मंथन के समय धरती से उत्पन्न हुआ था। प्राचीन समय से हिन्दू धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के लोग इसकी पूजा करते चले आ रहे हैं और यह वृक्ष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा महत्व यह है कि यहॉ नियमित रूप से वेद पाठ कराया जाता है और दूर-दूर से आये हुए विद्यार्थियों को पारम्परिक पद्धति से वेद ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है एवं इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे यहॉ पर सभी धर्मो के श्रद्धालु एवं पर्यटकों का आगमन होता रहता है। इस मंदिर परिसर में गौ सेवा एवं आयुर्वेदिक औषधि वितरण का कार्य भी आश्रम द्वारा सेवार्थ कराया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- वैदिक कैलेण्डर के जुलाई माह में अम्बुजा (आम्बुआची) देवी का पूजन तीन दिन के लिए होता है, जिसमें हवन पूजा के लिए इस मंदिर में भारी मात्रा में पर्यटक एवं श्रद्धालु भाग लेते हैं। सावन के कृतिका नक्षत्र में भगनहा नाम का फल वितरित होता है, जिससे कोई भी विषैला जीव-जन्तु नही काटता। इस फल को ग्रहण करने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक एवं श्रद्धालु आते हैं। इस स्थल पर आने वाले पर्यटकों में कम बजट वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है। पर्यटक पूजा, अर्चना के लिए कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण की अवधि तक के लिए ही रूकते हैं। कुछ पर्यटक परिसर के भवन में ही रात्रि विश्राम करते हैं तथा इसके अतिरिक्त आस-पास भी रात्रि विश्राम की मूलभूत सुविधायें जैसे लॉज आदि में भी रूकते हैं। पर्यटक यात्री बस एवं स्वयं के साधन से आते हैं तथा यहॉ से आयुर्वेदिक औषधि भी ले जाते हैं। नेपाल बार्डर पर स्थित होने के कारण लुम्बिनी, कपिलवस्तु आदि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसके समीप में ही हैं।

5- पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-435/2021/आई/95380/41-1002(001)/12/2021-117(बजट)/2021, दिनांक 07.09.2021 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक बर्डपुर के ग्राम भुजौली स्थित वैदिक आश्रम का पर्यटन विकास हेतु उत्तर प्रदेश कन्स्ट्रक्शन एवं लेबर डेवलपमेन्ट फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएलडीएफ) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए गठित किये गये आगणन रू0 249.70 लाख के मूल्यांकित लागत रू0 205.20 लाख में से उच्च विशिष्टियों के कार्यो की लागत धनराशि रू0 47.25 लाख को घटाते हुए मूल्यांकित लागत रू0 134.64 लाख + जी0एस0टी0 प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 67.32 लाख निर्गत की गयी है। उक्त उच्च विशिष्टियों की दर डी0एस0आर0-2021 से ली गयी हैं, जिसकी कुल लागत रू0 47.25 लाख (एसलर डोम-रू0 22.04 लाख, स्टोन जाली-रू0 24.77 लाख, एज मोल्डिंग-0.44 लाख) है, का क्रियान्वयन कराया जाना है।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक बर्डपुर के ग्राम भुजौली स्थित वैदिक आश्रम के पर्यटन विकास हेतु मा0 मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 25.12.2021 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

(क) जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक बर्डपुर के ग्राम भुजौली स्थित वैदिक आश्रम का पर्यटन विकास हेतु उत्तर प्रदेश कन्स्ट्रक्शन एवं लेबर डेवलपमेन्ट फिडरेशन लिमिटेड को (यूपीसीएलडीएफ) कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। वैदिक आश्रम के विकास हेतु मूल्यांकित लागतरू 0 205. लाख में से 20उच्च विशिष्टियों के कार्यो की लागत धनराशि रू47 0.लाख को घटाते 25 134 0हुए मूल्यांकित लागत रू.+ लाख 64 जीस्वीकृत की गयी है। 0टी0एस0 उक्त दी गयी उच्च विशिष्टियों के घटकों की दर डी0आर0एस0-से ली गयी हैं 2021, जिसकी कुल लागत रू47 0.22 0रू-एसलर डोम) लाख 25.लाख 04, स्टोन जाली24 0रू -.लाख 77, एज मोल्डिंग-0.44 लाखहै (, पर अनुमति प्रदान किया गया है।

(ख) परियोजना के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु मा त कियामंत्री जी को अधिकृमुख्य 0गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक बर्डपुर के ग्राम भुजौली स्थित वैदिक आश्रम के पर्यटन विकास हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

'' प्रश्नगत स्थल पर उच्च विशिष्टियों के कार्यों यथा एसलर डोम, स्टोन जाली, एज मोल्डिंग के कार्यों को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दरें प्राप्त कर निर्माण कार्य सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा ।''

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मंत्री, पर्यटन, उ0 प्र0 शासन।
2. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/पमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कन्स्ट्रक्शन एवं लेबर डेवलपमेन्ट फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएलडीएफ), लखनऊ।
7. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशाषी अभिन्ता, उत्तर प्रदेश कन्स्ट्रक्शन एवं लेबर डेवलपमेन्ट फेडरेशन लिमिटेड (यूपीसीएलडीएफ), लखनऊ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, बस्ती मण्डल सिद्धार्थनगर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in